न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – डिक्री 114 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 21.06.2018

1. बद्रीलाल पिता भगवानलाल जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. भंवरलाल पिता रामा जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरूद्व

1. माधु पिता उदा जाति जाट मृतक के बजाय–
   1. शम्भुलाल पिता माधु जाति जाट–मृतक के बजाय
      1. गंगादेवी पत्नि शम्भुलाल जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
      2. अमित पिता शम्भुलाल जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
      3. गीता पिता शम्भुलाल जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. एजी पत्नि रामेश्वर जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. लेहरू पिता उदा जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. प्रभु पिता गिरधारी जाति जाट मृतक के बजाय–
   1. सोसर पत्नि प्रभु जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. प्रेमदेवी पत्नि मोहन जाति जाट निवासी चोगावडी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. सुखदेव पिता गिरधारी जाति जाट–मृतक के बजाय
   1. भेरू पिता सुखदेव जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. गंगा पुत्री सुखदेव जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   3. चांदी पत्नि सुखदेव जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
5. नाना पिता गिरधारी जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा पुठोली जरिये शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
7. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
8. उप–पंजीयन अधिकारी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 86/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2018

उपस्थित- 1. छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. चम्पालाल जाट-रेस्पोडेन्ट सं. 2
3. सावन श्रीमाली-रेस्पोडेन्ट सं. 4
4. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 10.10.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं.1 व 3 से 6 प्रतिवादीगण के मौजा आजोलियो का खेडा की आराजी नम्बर 124 रकबा 0.17 हैक्टेयर सम्पूर्ण रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण के खातेदारी की घोषित की जावे एवं अपीलान्टगण प्रतिवादीगण 1 व 2 का नाम विलोपित किया जावे। वादपत्र की कलम सं. 1 के परिशिष्ठ अ मे वर्णित खाता सं. 224 मे अंकित आराजी नम्बर 122,129,731,732,733,735 कुल किता 6 रकबा 1.43 हैक्टेयर मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण का 1/2 व अपीलान्टगण प्रतिवादीगण का 1/2 हक व हिस्सा व परिशिष्ठ ब मे अंकित खाता सं. 233 मे दर्ज आराजी नम्बर 383 मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण का 1/2 हक व हिस्से का बाय मिन्टस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा किया जाकर अलग-अलग राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अपीलान्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी चाहा गया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण की ओर से दिनांक 01.08.2016 को प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 6 के जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलान्ट व प्रतिवादी सं. 2 दिनांक 10.11.2016 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए अपनी ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत किया व रेस्पोडेन्ट सं. 3,4,5 की ओर से भी अधिवक्ता अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुए। उक्त पत्रावली मे प्रतिवादी सं. 6 की तलबी हेतु एवं शेष प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावे हेतु दिनांक 06.12.2016 नियत की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 06.12.2016 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हुई व दिनांक 21.12.

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

6 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुई जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.12.2016 वास्ते जवाब व प्रतिवादी सं. 6 की तलबी हेतु नियत की गई। उसके पश्चात् उक्त पत्रावली मे प्रभावित कार्यवाही नही होकर उक्त पत्रावली मे तारीख पेशी तब्दील हुई व दिनांक 11.01.2018 को अपीलान्टगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व प्रतिवादी सं. 3 से 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रस्तुत किये गये । दिनांक 12.04.2018 को जिसमे पूर्व से ही तनकियात कायम हो चुकी थी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण की ओर से बंटवाडे का अनुतोष नही चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब व बहस हेतु उक्त पत्रावली नियत थी। उक्त पत्रावली को बिना सूचना पत्र जारी किये लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के आराजी नम्बर 124 रकबा 0.17 हैक्टेयर बिना किसी साक्ष्य व सबूत के रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण के नाम घोषित किये जाने की डिक्री पारित कर दी गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2,4 व 6,7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अन्य रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने विवादित कृषि आराजीयात मे घोषणा व बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा की दाद चाहते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया था। उक्त वादपत्र मे अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 11.01.2018 को जवाबदावा अस्वीकारोक्ति का प्रस्तुत किया गया व अन्य प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दावा जवाबदावे के अनुसार दिनांक 23.02.2018 को तनकियात कायम की गई। व उक्त पत्रावली को वास्ते साक्ष्य नियत की गई। उक्त पत्रावली मे दिनांक 12.04.2018 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादपत्र मे चाही बंटवाडे की दाद विड्रो किये जाने का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते जवाब व बहस नियत थी। इसी दरम्यान दिनांक 17.05.2018 को पत्रावली लोक अदालत मे नियत की गई। लोक अदालत मे अपीलान्टगण अनुपस्थित रहे और न ही अपनी ओर से कोई लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत बहनामे की फोटो प्रति के आधार पर उक्त कृषि आराजीयात का रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को खातेदार घोषित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि उक्त पत्रावली मे आराजी नम्बर 124 के अलावा खाता सं. 234 व 233 मे दर्ज आराजी नम्बर 122, 129 , 731, 732, 733, 735, कुल किता 6 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 383

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सम्मिलित थी। उक्त आराजीयात के बंटवाड़े के वादपत्र को विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र वास्ते जवाब व बहस हेतु नियत था जिसका पूर्व मे निस्तारण कर प्रकरण का गुणवगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मत होते हुए लोक अदालत के तहत बिना किसी राजीनामे के बिना सहमति के बंटवाडे की दाद विड्रो कर घोषणा का वादपत्र बिना साक्ष्य व सबुत के डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है। आर.एल.डब्ल्यु. 2008 पार्ट-2 पेज 975 मे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने लोक अदालत के सम्बन्ध मे न्यायिक दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण की निर्णय व डिक्री उक्त सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र का प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र पंजीकृत बहनामा दिनांक 31.03. 1976 के आधार पर था। पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट आजोलिया का खेडा मे प्रस्तुत हुई जिसमे उभय पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किये गये फिर भी अपीलान्टगण प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण के पक्ष मे बंटवाडे की दाद विड्रो कर लिये जाने से व घोषणा का वादपत्र पंजीकृत बहनामे के अनुसार होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र डिक्री किया है जिससे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण सं. 4/1 से 4/3 ने अपनी बहस मे अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने की सहमति व्यक्त की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 7 व 8 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विक्रय पत्र के अनुसार होने से विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने कृषि आराजीयात की घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र अपीलान्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 8 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसमे खाता सं. 234 व खाता सं. 233 के सम्बन्ध मे बंटवाड़े की दाद चाही गई। खाता सं. 234 मे दर्ज आराजी नम्बर 122,124,129,731,732,733,735 कुल किता 7 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर पर खाता सं. 233 मे दर्ज आराजी नम्बर 383 रकबा 0.45 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे बंटवाडा चाहा गया। आराजी नम्बर 124 मे अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम हटाये जाने की घोषणा चाही गई। उक्त वादपत्र का अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 11.01.2018 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावे के अनुसार तनकियात कायम कर साक्ष्य मे नियत की गई। वादपत्र साक्ष्य मे विचाराधीन रहते हुए दिनांक 12.04.2018 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने बंटवाडे की दाद विड्रो किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

की उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब व बहस हेतु नियत थी। उक्त पत्रावली को जो कि अपरिपक्व पत्रावली है को लोक अदालत कैम्प कोर्ट आजोलियो का खेडा मे नियत की जाकर बिना साक्ष्य सबूत व बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत गुणावगुण पर निर्णय किया जाकर बहनामे की फोटो प्रति के आधार पर बंटवाडे की दाद को विद्रो की जाकर आराजी नम्बर 124 की रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण के पक्ष मे घोषणा की गई है। जो लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के होने से आर.एल.डब्ल्यु. 2008 पार्ट-2 पेज 975 मे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने लोक अदालत के सम्बन्ध मे न्यायिक दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण की निर्णय व डिक्री उक्त सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 86/2016 निर्णय व डिकी दिनांक 17.05.2018 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली मे कायम की गई तनकियात व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण की ओर से प्रस्तुत विद्रो प्रार्थना पत्र दिनांक 12.04. 2018 का निस्तारण कर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए अजसरे, तनकीवार, नव निर्णय पारित करे। उभय पक्षाकारान अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 14.11.2022 को स्वंय उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्धान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)